"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2009—कार्तिक 8, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री अमित कटारिया, भा. प्र. से. (2004), आयुक्त, नगर निगम, रायपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर की सेवायें नगरीय विकास विभाग से वापस लेते हुये, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है. साथ ही इन्हें उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री ओम प्रकाश चौधरी, भा. प्र. से. (2005), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा की सेवायें नगरीय विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. श्री अमित कटारिया, भा.प्र.से. एवं श्री ओम प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत क्रमशः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के असंवर्गीय पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. श्री धनंजय देवांगन, रा.प्र.से., अपर कलेक्टर, बिलासपुर की सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

क्रमांक/एफ 1/24/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. के. झा, भापुसे (1998), पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा को अति आवश्यक घरेलू कार्य हेतु दिनांक 20-10-2009 से दिनांक 31-10-09 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 01 एवं 02 नवंबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री एस. के. झा, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एच. आर. मनहर, सेनानी, 11वीं वाहिनी, छ. स. बल, जांजगीर-चांपा को सौंपा जाता है.

3. श्री एस. के. झा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. झा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. झा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

क्रमांक/एफ 1/04/दो गृह/भापुसे/2008.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. के. थोरात, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो./प्र., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को निम्नानुसार सपरिवार खण्ड वर्ष 2006-09 में भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 03-11-2009 से दिनांक 13-11-2009 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 1-2 एवं 14-15 नवंबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल. टी. सी.) की अनुमति प्रदान करता है :—

01. श्रीमती जया थोरात (पत्नी) 02. कु. आकांक्षा थोरात (पुत्री)

2. श्री जे. के. थोरात, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो./प्र., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 31011/4/2008-Esst. (A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार 10 दिवस (दस दिवस) का अर्जित अवकाश समर्पित करने की अनुमति दी जाती है.

3. श्री जे. के. थोरात, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. थोरात, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो./प्र., पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. थोरात, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यो./प्र., पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ-4-12/2009/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

द्वितीय अनुसूची में, सरल क्रमांक 3 एवं 4 के सामने कॉलम क्रमांक (10) की प्रविष्टि (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाय ;—

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक"

No. F-4-12/2009/18.—In exercise of the powers conferred by section 355, read with Section 86 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following further amendment to the Chhattisgarh State Municipal Services (Executive) Rules, 1973, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In Second Schedule, for the entry (a) in column number (10) against serial number 3 and 4 of the following entries shall be substituted ;—

"Graduate from any recognized University"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

क्रमांक/1660/अ.भू-अ.प्र./18/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	उमरपोटी प. ह. नं. 29	1.82	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	रिसाली उमरपोटी नाला जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्रमांक 12/अ-82/2007-08/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	सिलपहरी	14.10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1, बिलासपुर.	पेन्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	करगीकला	0.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना मुख्य बांध निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	करगीकला	32.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना\ नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	पीपरडोल	23.72	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

क्रमांक 18/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	उड़ेला प. ह. नं. 23	0.599	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	उड़ेला जलाशय स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राज.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 अक्टूबर 2009

क्रमांक 25 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	सरखों प. ह. नं. 49	6.473	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ पाइप लाइन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2009

क्र. क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/0 अ./82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदा बाजार	रिसदा प. ह. नं. 13	163	0.247	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर.	मे. इमामी सीमेंट लि. रिसदा को औद्योगिक प्रयोजन हेतु.
			165/1	0.124		
			601/2	0.093		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			605/2	0.081		
			228/5	0.049		
			228/9	0.024		
			228/11	0.016		
			228/16	0.008		
			605/4	0.202		
			605/7	0.006		
			605/8	0.020		
			166	0.243		
			168	0.008		
			169	0.327		
			170/1	0.240		
			175/5	0.270		
			228/12	0.028		
			601/9	0.057		
			601/3	0.093		
			601/6	0.057		
			170/2	0.089		
			175/2	0.270		
			227/3	0.059		
			228/7	0.029		
			601/8	0.057		
			601/10	0.113		
			172	0.202		
			228/2	0.355		
			173/1	0.239		
			174	0.551		
			175/1	0.199		
			175/4	0.209		
			175/6	0.267		
			177/3	0.178		
			227/1	0.058		
			228/13	0.028		
			601/11	0.121		
			177/1	0.174		
			178/1	0.178		
			178/3	0.182		
			173/2	0.239		
			146/5	0.183		
			177/2	0.057		
			181/1, 182/1	0.033		
			181/2, 182/2	0.129		
			181/3, 182/3	0.032		
			181/4, 182/4	0.032		
			181/5, 182/5	0.130		
			181/6, 182/6	0.130		
			181/7, 182/7	0.129		
			181/8, 182/8	0.033		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			183/1	0.568		
			183/2	0.569		
			179/1	0.056		
			208/1	0.120		
			179/3	0.114		
			207/2	0.053		
			179/5	0.057		
			180/3	0.405		
			132/4	0.145		
			180/4	0.405		
			228/8	0.020		
			228/3	0.191		
			218/3	0.081		
			225/1	0.190		
			226	0.166		
			134/1, 134/3	0.432		
			582/1	0.216		
			582/3	0.116		
			134/2	0.215		
			582/2	0.153		
			137/1	0.247		
			579/1	0.265		
			137/2	0.248		
			579/2	0.162		
			579/4	0.265		
			137/3	0.162		
			137/4	0.248		
			137/5	0.248		
			579/5	0.264		
			137/6	0.247		
			579/6	0.180		
			138	0.441		
			140/1	0.138		
			140/2	0.134		
			142/1	0.170		
			142/2	0.113		
			208/2	0.130		
			151	0.065		
			145/1	0.113		
			149	0.045		
			150	0.020		
			145/4	0.114		
			197/7	0.170		
			200/1	0.190		
			197/4	0.084		
			145/5	0.114		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			145/6	0.056		
			197/5	0.084		
			145/7	0.055		
			197/6	0.084		
			144/4	0.073		
			146/1	0.255		
			153/2	0.263		
			228/15	0.020		
			146/3	0.251		
			148/1	0.251		
			148/2	0.405		
			153/1	0.174		
			185/1	0.101		
			195/1	0.121		
			187/1	0.025		
			187/3	0.049		
			194/1	0.069		
			194/3	0.069		
			187/2	0.074		
			194/2	0.069		
			194/4	0.069		
			189	0.142		
			192	0.121		
			193/1	0.161		
			185/2	0.105		
			195/2	0.122		
			142/3	0.170		
			196/1	0.129		
			196/3	0.130		
			197/1	0.170		
			198/1	0.113		
			200/2	0.243		
			608/3437	0.158		
			201	0.215		
			211/1	0.295		
			202	0.219		
			210/2	0.091		
			203/1	0.485		
			203/2	0.324		
			203/3	0.162		
			204/1	0.202		
			204/2	0.142		
			205/1	0.101		
			205/3	0.148		
			205/6	0.171		
			205/4	0.170		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			205/5	0.101		
			205/2	0.180		
			205/7	0.180		
			206	0.235		
			207/1	0.053		
			562/2	0.091		
			209	0.182		
			210/1	0.091		
			589/4	0.118		
			589/5	0.121		
			212/1	0.761		
			215/2	0.347		
			215/3	0.347		
			212/2	0.142		
			212/3	0.089		
			212/4	0.089		
			212/5	0.089		
			221	0.166		
			213/1	0.109		
			213/3	0.061		
			213/2	0.081		
			190/1	0.243		
			214			
			215/1	0.347		
			216	0.171		
			217/1	0.112		
			587	0.016		
			588/1	0.647		
			588/4	0.381		
			144/1	0.069		
			576/9	0.185		
			218/2	0.085		
			219	0.243		
			220	0.178		
			225/2	0.190		
			227/2	0.110		
			228/1	0.176		
			228/4	0.115		
			228/6	0.033		
			228/10	0.006		
			228/14	0.040		
			229/1	0.190		
			601/7	0.105		
			229/2	0.190		
			562/1	0.091		
			576/2	0.185		
			576/4	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			576/5	0.394		
			577/2	0.332		
			577/3	0.372		
			577/4	0.166		
			576/7	0.185		
			576/8	0.371		
			580/2	0.056		
			580/4	0.057		
			590	0.405		
			592/5, 3434/5/561	0.064		
			592/1, 3434/1/561	0.049		
			592/2, 3434/2/561/2	0.061		
			592/4, 3434/4/561/4	0.057		
			592/3, 3434/3, 561/3	0.064		
			592/6, 3434/6, 561/6	0.045		
			593	0.012		
			601/1	0.125		
			601/5	0.380		
			601/4	0.053		
			605/5	0.384		
			602	0.227		
			607	0.243		
			603	0.093		
			605/1	0.470		
			604	0.162		
			605/3	0.058		
			605/6	0.041		
			606	0.182		
			611	0.206		
			231/11	0.405		
			231/12	0.405		
			231/13	0.405		
			231/14	0.405		
			231/15	0.405		
			231/16	0.405		
			231/17	0.405		
			231/18, 232	0.405		
			3417/1429	0.097		
			588/3	0.502		
			575/4	0.116		
			211/2	0.296		
		योग	**228**	**40.544**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

क्रमांक/2394/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-सेम्हरा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	380	0.16
योग	1	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- छुरा से रसेला मार्ग निर्माण कार्य अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

क्रमांक/2395/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-कनेसर, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.81 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	573	0.08
	574/1	0.28
	574/2	0.08
	577	0.12
	692	0.15
	693	0.22
	694	0.02
	695	0.45
	713/1	0.04
	713/2	0.40
	714	0.42
	715	0.07
	716	0.20
	717	0.08
	718	0.12
	719	0.40
	743	0.02
	744	1.20
	745	0.50
	751	0.04
	752	0.11
	753	0.05
	754	0.05
	755	0.08
	756	0.46
	757	0.13
	758	0.04
योग	27	5.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कनेसर जलाशय के उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

प्रकरण क्र. 9/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिल्हाटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.445 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	267/1	0.053
	273	0.028
	267/14	0.202
	274	0.161
योग	4	0.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- फरहदा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2009

प्रकरण क्र. 05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.125 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	820	0.991
	822	0.595
	908/1	0.154
	908/2	0.154
	915	0.065
	916	0.121
	933	0.045
योग	7	2.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आनंद सागर जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2009

प्रकरण क्र. 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-जेवरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.523 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
309/1	0.462
309/2	0.121
310	0.223
312	0.664
1098/1	0.121
1098/3	0.121
1099/1	0.129
1099/3	0.129
1100/1	0.567
1100/3	0.678
1101/1	0.154
1101/2	0.154
योग 12	3.523

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जेवरा जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2009

प्रकरण क्र. 7/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-रिस्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
478/2	0.405
योग 1	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुटीघाट एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2009

प्रकरण क्र. 8/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-फरहदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.568 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
106/1	0.097
105/1	0.080
105/2	0.080
105/3	0.085
54	0.226
योग 5	0.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरहदा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

प्रकरण क्र. 3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-लोरमी
 (ग) नगर/ग्राम-बेलसरी, प. ह. नं. 12
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	142/1	0.08
	142/2	0.10
	142/3	0.08
	142/4	0.08
	142/5	0.08
	143	0.26
योग	6	0.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेमरकोना आगर एनीकट के शीर्ष कार्य निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जशपुर
 (ख) तहसील-पत्थलगांव
 (ग) नगर/ग्राम-खरकट्टा, प. ह. नं. 4
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.562 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/1क/3	0.482
16/3क	0.817
16/19क	1.295
16/11क	0.042
390/2	0.192
390/3	0.192
16/11ख	0.012
16/5	0.712
16/6	0.024
16/10	0.112
63	0.130
651/2	0.062
658/3	0.004
746/1	0.112
36/2	0.260
16/19ख/1	0.729
61/1	0.032
35	0.072
16/18	0.040
17/2	0.121

(1)	(2)
31/2 क	0.101
32/2 ख	0.032
33/2 ख	0.101
16/17क	0.648
16/25क	0.356
16/1ग	0.121
38/1ख	0.180
38/2	0.112
42/2क	0.132
34/1	0.451
16/17	0.171
53	0.28
55/2ख	0.301
16/3ख	0.040
16/4	1.157
678/1	0.324
682/1	0.024
668/3	0.012
389	0.088
390/1	0.192
61/3	0.016
668/1झ	0.121
16/16	0.688
66	0.168
679/2	0.160
16/19 ख	30.362
55/2 क	0.061
16/1 घ	0.146
73	0.024
74	0.040
16/13 ख	0.263
392/2	0.146
16/12	0.129
16/1झ	0.113
62/2	0.082
16/9	0.283
42/2 ख	0.048
16/8 क	0.098
16/17ख/1, 16/25 ख/1	0.061
55/4	0.098
16/1 क/2	0.822
366	0.024
669/1	0.032
36/1 ग	0.004
55/5	0.124
42/2 ग	0.008
42/2 घ	0.004
68/3 ग	0.396
55/6	0.020
735	0.036
745	0.060
739	0.101
743/2	0.424
61/4	0.070
680	0.060
31/2 ख	0.101
31/3 ख	0.130
33/2 क	0.134
53/3	0.008
34/2	0.162
16/8 छ	0.098
42/1	0.010
388	0.066
16/19 ख/2	0.0647
61/2	0.100
16/13 क	0.304
31/1	0.202
32/1	0.040
33/1	0.032
668/1 ख	0.057
651/1	0.042
668/1 घ	0.032
16/8 ख	0.098
55/7	0.004
363	0.116
367	0.050
368/1 क	0.114
392/3	0.244
650	0.066
652	0.081
668/1 ज	0.034
682/2	0.016
678/2	0.330
योग 103	18.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरकट्टा-जलाशय योजना के डुबान का प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर-492001

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 173/तीन/नगरीय निकाय/रानिआ./2009/1553.—संविधान के अनुच्छेद 243 य, क एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2009 में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्देश देता है कि नगरीय निकाय के सभी निर्वाचकों को साधारण निर्वाचन तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा :—

(1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र,

(2) बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक,

(3) शस्त्र लायसेंस,

(4) फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि,

(5) फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र,

(6) पासपोर्ट,

(7) ड्रायविंग लायसेंस,

(8) आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन.कार्ड),

(9) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,

(10) नगरीय निकाय द्वारा नगरीय रिक्शा चालकों के लिए जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र,

(11) छात्र फोटोयुक्त पहचान-पत्र,

(12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र,

(13) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित आदि फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र,

(14) स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र,

(15) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट कार्ड).

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दर्शाए गए किसी दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, जो परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये उपयोग हेतु अनुमति दी जाएगी. इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते ऐसे दस्तावेजों के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती है.

डी. डी. सिंह,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th October 2009

No. 760/Confdl./2009/II-2-1/2009/II-15-21/2000.—The Order No. 702/Confdl./2009/II-2-1/2009 dated 16-09-2009 so far as it relates to transfer & posting of Shri Shailesh Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Kondagaon as Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Bhanupratappur and Order No. 704/Confdl./2009/II-15-21/2000 (Pt.-V) dated 16-09-2009 so far as it relates to transfer & posting of Shri K. Vinod Kujur, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Bhanupratappur as Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Kondagaon are hereby cancelled.

Bilaspur, the 8th October 2009

No. 762/Confdl./2009/II-2-2/2002.—The following District Judge (Selection Grade) as specified in Column No. (2) is hereby appointed on the post of District Judge (Super Time Scale) of Rs. 22850-500-24850 from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment on the post of District Judge (Super Time Scale) (3)
1.	Shri Anil Kumar Shukla, District & Sessions Judge, Mahasamund.	30-09-2009

Bilaspur, the 8th October 2009

No. 764/Confdl./2009/II-2-1/2009.— The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place show in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashok Kumar Potdar, Additional District & Sessions Judge.	Pendraroad	Kondagaon	Bastar (Jagdalpur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Vice Shri Shailesh Kumar Tiwari.

Bilaspur, the 8th October 2009

No. 7432/JOTI/3rd Part Ind./2008 Batch/09.—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officer's Training Institute (JOTI), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 25-10-2009 by 4.00 P.M. for undergoing the 3rd Part of Institutional Training Programme scheduled to be held from 26th October, 2009 to 31st October, 2009.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Ku. Radhika Saini	VI Civil Judge Class-II, Raipur
2.	Shri Manish Kumar Dubey	III Civil Judge Class-II, Durg
3.	Shri Shailendra Chauhan	III Civil Judge Class-II, Raigarh
4.	Shri Umesh Kumar Chauhan	II Civil Judge Class-II, Dhamtari
5.	Ku. Jyoti Agrawal	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Smt. Vibha Pandey	VIII Civil Judge Class-II, Raipur
7.	Smt. Kiran Thawait	IX Civil Judge Class-II, Raipur
8.	Ku. Deepa Katare	X Civil Judge Class-II, Raipur
9.	Shri Shailesh Sharma	Civil Judge Class-II, Kawardha
10.	Shri Santanu Kumar Deshlahare	I Civil Judge Class-II, Janjgir
11.	Shri Abhishek Sharma	IV Civil Judge Class-II, Durg
12.	Ku. Anju Gupta	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
13.	Shri Anand Prakash Dixit	Civil Judge Class-II, Baloda Bazar, District-Raipur
14.	Ku. Uadai Laxmi Parmar	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur
15.	Ku. Chhaya Singh Baghel	VII Civil Judge Class-II, Durg
16.	Shri Vikram Pratap Chandra	Civil Judge Class-II, Jashpurnagar
17.	Shri Vinay Kumar Pradhan	Civil Judge Class-II, Khairagarh, District-Rajnandgaon
18.	Shri Balram Kumar Dewangan	II Civil Judge Class-II, Dantewara
19.	Shri Jagmohan Shankar Patel	Civil Judge Class-II, Bhanupratappur, District- Uttar Bastar (Kanker).
20.	Shri Ganesh Ram Patel	Civil Judge Class-II, Pratappur, District-Surguja (Ambikapur)
21.	Ku. Pusplata Markande	II Civil Judge Class-II, Bemetara, District Durg
22.	Shri Krishna Kumar Suryavanshi	Civil Judge Class-II, Gariyaband, District-Raipur

(1)	(2)	(3)
23.	Ku. Chitra Lekha Sonwani	Civil Judge Class-II, Sakti, District-Janjgir-Champa
24.	Shri Bhupendra Kumar Vasnikar	XI Civil Judge Class-II, Raipur
25.	Shri Krishna Kant Bhardwaj	Civil Judge Class-II, Manendragarh, District-Koriya (Baikunthpur).

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books and also to bring 2 Civil & 3 Criminal copies of judgments rendered by them during the actual judicial work.

A. Code of Civil Procedure
B. Code of Criminal Procedure
C. Evidence Act
D. Limitation Act
E. Indian Penal Code
F. Rules & Orders-Civil & Criminal
G. Stamp & Court Fees Act
H. Arms Act
I. C. G. Excise Act
J. Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

By order of the Hon' ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.